प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.04.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी खान बहादुर खां द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. मनोज पुत्र प्रहलाद निवासी रामपार्क एक्सटेन्शन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. रिजवान 3.चेतनाम पुत्र रामू निवासी झिलमिल कॉलोनी दिल्ली 4.मौ० कामरान पुत्र नवाब अली तौमर निवासी नंगला थाना मुंडाली जनपद मेरठ 5. रूपेन्द्र पुत्र चेतनाम द्वारा धोखाधडी करके वादी का प्लाट विक्रय कराने का सौदा तय करके 01 लाख रूपये दे देना तथा बैनामा कराने व मूल दस्तावेज में कमी बताकर मूल दस्तावेज लेकर वापस ना देना तथा चेतनाम द्वारा फर्जी मुख्तारनामा आम कराकर अपने पुत्र को दान के रूप दे देना व वादी के प्लाट का ताला तोडकर कब्जा कर लेना व वादी व उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज, मारपीट कर व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-318(4)/316(2)/336(3)/338/340(2)/115(2)/352/ 351(3)/329(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पूर्व में दिनांक 20.03.2026 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मौ0 कामरान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.04.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चेतमान उर्फ चेतनाम पुत्र रामू निवासी रामनगर शाहदरा दिल्ली मूल निवासी दांग, घोरई, लक्ष्मीपुर नेपाल उम्र करीब 39 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर षड़यन्त्र कर खान बहादुर खां के रामपार्क एक्सटेन्शन ग्राम लुत्फुल्लापुर नवादा परगना तहसील लोनी गाजियाबाद में स्थित प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

चेतमान उर्फ चेतनाम पुत्र रामू निवासी रामनगर शाहदरा दिल्ली मूल निवासी दांग, घोरई, लक्ष्मीपुर नेपाल उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 15.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त रमेश शर्मा द्वारा वादी की बहन उम्र करीब 17 वर्ष 11 माह को अपने साथ भगाकर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।

दिनांक 13.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रमेश शर्मा पुत्र रामसुन्दर शर्मा निवासी ग्राम दिघोपट्टी थाना जाले जिला दरभंगा राज्य बिहार उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी की बहन से काफी समय से बातचीत थी । मैं वादी की बहन को अपने साथ भगाकर ले गया था तथा मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रमेश शर्मा पुत्र रामसुन्दर शर्मा निवासी ग्राम दिघोपट्टी थाना जाले जिला दरभंगा राज्य बिहार उम्र करीब 23 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शराब बरामद ।

आज दिनांक 14.04.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त मुकेश पुत्र नाथुराम निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 55 पव्वे अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये । अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे अवैध देशी शराब खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मुकेश पुत्र नाथुराम निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे से 55 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।